

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 17-07-2018

Order

Sub :- Diversion of 1.3540 ha (instead of 2.1140 ha) of forest land in favour of HPPWD for the construction of Link Road to Village Tarrish Chamaran (Km 0/0 to 2 /300) under the PMGSY, within the jurisdiction of Nurpur Forest Division, Distt. Kangra, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB/090/2011-CHA/557** dated 26-06-18 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.3540 ha (instead of 2.1140 ha)** हैक्टेयर वन भूमि को HPPWD को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार CFS Lodhwan U-5 में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **2.6** है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा **4.4** है० CFS Lodhwan U-5 वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख-रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 4 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस /कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 7 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 8 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।
- 9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा
- 10 कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 60 Trees से अधिक न हो।
- 11 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 12 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

Contd./2

li
SIF-2A
G. 1312
APCCF (FCM)
2

- 13 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 14 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 17-07-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Kangra Distt., Kangra, Himachal Pradesh
6. DFO Nurpur Forest Division, Distt., Kangra H.P.
7. Ex-Engineer/ Asstt. Engineer, HPPWD Nurpur Division Distt. Kangra HP.
8. Guard File.

Sfca

19/7/18
APCCF (FCA)

19.7.18



(Sat Pal Dhiman) 17-7-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the -07-2018

Order

Sub :- Diversion of 3.2867 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Orru Mour to Kakiyana (Kms 0/00 to 5 /360), within the jurisdiction of Dalhousie Forest Division, Distt. Chamba, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/06/23/2017/FC/509 dated 19-06-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **3.2867 ha** हैक्टेयर वन भूमि को **HPPWD** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार UF Ghandhiyar में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **6.500** है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैंरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाय गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा
- 9 कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 382 Trees से अधिक न हो।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

SPFCA
9/7/18
APCF (FCA)
g

Contd./2

- 13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the 17-07-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone); Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Chamba Distt., Chamba, Himachal Pradesh
6. DFO Dalhousie Forest Division, Distt., Chamba H.P.
7. Ex-Engineer/ Asstt. Engineer, HPPWD Dalhousie Distt. Chamba HP.
8. Guard File.

SFC

19/7
APCCF(FCA)

17.7.18

(Sat Pal Dhiman) 17-7-2018

Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3398

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 17-07-2018

Order

Sub :- Diversion of 1.8871 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Dohranallah to Dabri Road (Kms. 0/00 to 2/600), within the jurisdiction of Parbati Forest Division, Distt. Kullu, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/06/21/2017/ 500 dated 19-06-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.8871 ha** हैक्टेयर वन भूमि को **HPPWD** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार Survey No. 53 E/1SW of Salyani Khokhan-III UPF में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **3.80** है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैंरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।
- 8 कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 22 Trees & 45 saplings से अधिक न हो।
- 9 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 10 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

Contd./2

8/11/17
APCCF (FCA)

13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, 17/07/18

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Kullu Distt., Kullu, Himachal Pradesh
6. DFO Parbati Forest Division, Distt., Kullu H.P.
7. Ex-Engineer/ Asstt. Engineer, HPPWD Parwati Distt. Kullu HP.
8. Guard File.

8/PCF

19/7
APCCF(FCA)

19.7.18

(Sat Pal Dhiman) 17-7-2018

Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 17-07-2018

Order

Sub :- Diversion of 2.6 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Bagdhar to Chhunun (Kms. 0/00 to 3/525), within the jurisdiction of Dalhousie Forest Division, Distt. Chamba, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/06/83/2016/ 503 dated 19-06-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **2.6 ha** हैक्टेंयर वन भूमि को **HPPWD** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार UPF Ghandhiyar, Dalhousie range में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **5.2** है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस /कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा
- 9 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 474 Trees से अधिक न हो।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

Li BFFCA
In 1917
APCCF (FCM)

Contd./2

- 13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 17-07-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Chamba Distt., Chamba, Himachal Pradesh
6. DFO Dalhousie Forest Division, Distt., Chamba H.P.
7. Ex-Engineer/ Asstt. Engineer, HPPWD Dalhousie Distt. Chamba HP.
8. Guard File.

8/FCA

19/7
APCCF (FCA)

19.7.18

(Sat Pal Dhiman) 17-7-2018

Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

2991

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 17-07-2018

Order

Sub :- Diversion of 0.709 ha of forest land in favour of M/s Karji Powergen Pvt. Ltd. 187, Sector-10 Panchkula, Haryana for the construction of 4.00 MW Daredi Hydro Electric Project at Bakani, within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt. Chamba, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/01/115/2017/FC/501 dated 19-06-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.709** हैक्टेयर वन भूमि को **M/s Karji Powergen Pvt. Ltd.** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक पौधरोपण के अन्तर्गत 709 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 7 से 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैंरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
- 9 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 23 trees से अधिक न हो।
- 10 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.
- 11 The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.
- 12 The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the

Contd./2

81F2A
19/7
APCCF (F&A)
2

dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.

- 13 State Forest Department shall ensure that the User Agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, issued for laying transmission line in forest areas for the time being in force, as applicable to the project.
- 14 The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and backward bearings and distance from adjoin pillars etc.
- 15 The User Agency and the State Forest Department shall ensure compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.
- 16 The User agency shall submit the annual self compliance report on the conditions stipulated in the approval to the State Forest Department and the concerned Regional Office of the MoEF&CC, GoI.
- 17 A lease- deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Chamba, H.P.
- 18 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 17-07-2018

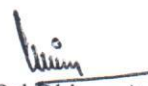
Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
- 3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
- 4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
- 5 The Deputy Commissioner, Chamba Distt., Chamba, Himachal Pradesh
- 6 DFO Chamba Forest Division, Distt., Chamba H.P.
- 7 The District Attorney, Distt. Bilaspur, HP.
- 8 Guard File.

8F2A

19.7.18
Aref (FCA)

19.7.18


(Sat Pal Dhiman) 17-7-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 17-07-2018

Order

Sub :- Diversion of 2.40 ha of forest land in favour of Sh. Abhishek Thakur Prop. Mata Stone Crusher for Stone quarry Near Larji (Bunga-III forest), within the jurisdiction of Seraj Forest Division, Distt. Kullu, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB/503/2010-CHA/553** dated 26-06-18 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 2.40 हैक्टेयर वन भूमि को **Sh. Abhishek Thakur Prop. Mata Stone Crusher** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.40 हे० वन भूमि के बराबर गैर वन भूमि Thana Kalan/ Shamlat Tihra Khas H 43 E6 (53A/6) Village Tihra Khas, District Una को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। प्रतिपूरक पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
- 9 Layout Plan भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदला जाएगा।
- 10 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 43 trees से अधिक न हो।
- 11 The copy of mining lease deed granted/executed from the competent authorities as per norms prescribed in the Rule shall be submitted to this office for records.
- 12 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.

S.F.C.A

G. 13/2
APCEP (FEA)

li

Contd/-2

- 13 The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and backward bearings and distance from adjoin pillars etc.
- 14 The renewal period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period coterminous with the period of mining lease granted in accordance with the Himachal Pradesh Minor Mineral (Concession) Revised Rules, 1971, or project life, whichever is less.
- 15 The User Agency and the State Forest Department shall ensure compliance to provisions of all Acts, Rules Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.
- 16 User Agency shall submit the annual self compliance report on the conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned regional Office of this Ministry.
- 17 A lease- deed of the above diverted forest land shall be executed by the User Agency with the State Industries Department Himachal Pradesh.
- 18 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the 17-07-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Chamba Distt., Chamba, Himachal Pradesh
6. The Director, Industries Department, Udyog Bhawan, Himachal Pradesh Shimla.
7. DFO Kullu Forest Division, Distt., Kullu H.P.
8. Sh. Abhishek Thakur Prop. Mata Stone Crusher
9. Guard File.

SPFA
19/7
APCCF (FCA)

19.7.18

(Sat Pal Dhiman) 17-7-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 17-07-2018

Order

Sub :- Diversion of 0.8594 ha of forest land in favour of District Ayurvedic Officer Kullu for the construction of Ayush Hospital and Sowa Rigpa at Bajaura, within the jurisdiction of Parbati Forest Division, Distt. Kullu, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/09/44/2017/FC/ 505 dated 19-06-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.8594 ha** हैक्टेयर वन भूमि को **Ayush Hospital and Sowa Rigpa at Bajaura**, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार Khokhan-III, UPF में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **1.72** है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैंरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा
- 9 कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 341 Trees & 728 saplings से अधिक न हो।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 11 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी / प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।
- 12 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 13 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

8F2A

2.19/17
A.P.C.F.(F&A)

2 li

P.C.F.
18/7

- 14 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, 17/07-18

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Kullu Distt., Kullu, Himachal Pradesh
6. DFO Parbati Forest Division, Distt., Kullu H.P.
7. Ex-Engineer/ Asstt. Engineer, HPPWD Parbati Distt. Kullu HP.
8. Guard File.

SPFA

19/7

APCCF(FCA)

19.7.18



(Sat Pal Dhiman) 17-7-2018

Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 17-07-2018

Order

Sub :- Diversion of 1,3497 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Chakti Dadhara road within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/06/67/2016/FC/508 dated 19-06-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.3497 ha** हैक्टियर वन भूमि को **HPPWD** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UF Doi में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल **2.6994** है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लैबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा
- 9 कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 160 Trees से अधिक न हो।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

Contd./2

FFFA
19/7
APCCF (FA)

2
PCCF

- 13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the 17-07-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Shimla Distt., Shimla, Himachal Pradesh
6. DFO Rampur Forest Division, Distt., Shimla H.P.
7. Ex-Engineer/ Asstt. Engineer, HPPWD Rampur Distt. Shimla HP.
8. Guard File.

8FCA

19/7

APCCF (FCA)

19.7.18

(Sat Pal Dhiman) 17-7-2018

Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.